फा. संख्या 07/13/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>

मामला संख्याः एडी (एसएसआर) - 07/2023

दिनांकः 30 सितम्बर 2023

विषय: चीन जन.गण., कोरिया गण. और थाईलैंड में मूलतः अथवा वहां से निर्यातित "एल्यूमीनियम मिश्र धातु रोड व्हील" के आयात के संबध में द्वितीय निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

फा. संख्या 07/13/2023-डीजीटीआर - कोसी मिंडा एल्यूमिनियम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मैक्सियन व्हील्स एल्यूमिनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिंडा कोसी एल्यूमीनियम व्हील प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड (इसके बाद 'आवेदकों' के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित किए गए लेखों पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और 1995, समय-समय पर संशोधित (इसके बाद 'एडी नियम' के रूप में संदर्भित), के अनुसार चीन जन.गण., कोरिया गण. और थाईलैंड (बाद में 'संबद्ध देशों' के रूप में संदर्भित) से उत्पन्न या निर्यात किए गए "एल्यूमीनियम मिश्र धातु रोड व्हील" (इसके बाद 'संबंधित सामान' या 'विचाराधीन उत्पाद' के रूप में संदर्भित) के आयात पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क को लगातार लागू करने के लिए पाटन रोधी जांच की दूसरी निर्णायक समीक्षा शुरू करने की मांग की है।

2. अधिनियम की धारा 9ए(5) और एडी नियमों के नियम 23(1बी) के अनुसार लगाए गए पाटन रोधी शुल्क जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता, ऐसी तारीख से पांच साल की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। प्राधिकरण को पाटन रोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. पृष्ठभूमि

3. संबंधित देशों से विषय वस्तुओं के आयात से संबंधित मूल जांच प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.12.2012 की अधिसूचना संख्या 14/7/2012-डीजीएडी के तहत शुरू की गई थी। जांच के बाद प्राधिकरण ने दिनांक 09.06.2014 की अधिसूचना संख्या 14/7/2012-डीजीएडी के माध्यम से अंतिम निष्कर्ष जारी किए जिसमें निश्चित पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई।

4. उक्त सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 22.05.2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 21/2015 - सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत चीन जन.गण कोरिया गण. और थाईलैंड से उत्पन्न या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के आयात पर एक निश्चित पाटन रोधी शुल्क लगाया गया था।

5. लागू पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति से पहले प्राधिकरण ने दिनांक 10.08.2018 की अधिसूचना संख्या 7/31/2018-डीजीटीआर के तहत एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की और दिनांक 29.03.2019 के अंतिम निष्कर्षों के तहत पाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की जिसे बाद में केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था और दिनांक 09.04.2019 की अधिसूचना संख्या 17/2019 के माध्यम से शुल्क जारी रखा गया था।

6. इसके बाद प्राधिकरण ने दिनांक 01.09.2021 की अधिसूचना संख्या 7/12/2021-डीजीटीआर के माध्यम से पाटन रोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा शुरू की और दिनांक 30.08.2022 के अंतिम निष्कर्षों के तहत कुछ निर्यातकों पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क को बढ़ाने की सिफारिश की। केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 28.11.2022 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 30/2022 - सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से सिफारिशों को स्वीकार किया गया था। विशेष रूप से उपरोक्त कर्तव्य वर्तमान में 08.04.2024 तक लागू हैं।

ख. संबद्ध देश

7. आवेदकों ने चीन पीआर, कोरिया आरपी और थाईलैंड से विषय वस्तुओं के आयात के खिलाफ एंटी-डंपिंग शुल्क जारी रखने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। हालांकि, कोरिया आरपी और थाईलैंड से आयात किए जाने वाले सामानों के संबंध में लागू शुल्कों की समाप्ति या निरसन की स्थिति में घरेलू उद्योग को डंपिंग और नुकसान की पुनरावृत्ति या जारी रखने की संभावना के बारे में आवेदन में अपर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत थे।

8. इसलिए, वर्तमान जांच के लिए विषय देश चीन पीआर है (इसके बाद "विषय देश" के रूप में संदर्भित)।

ग. विचाराधीन उत्पाद

9. विचाराधीन उत्पाद मूल जांच के समान है यानि "एल्यूमीनियम मिश्र धातु सड़क पहिया" मूल जांच के तहत परिभाषित उत्पाद निम्नानुसार था-

> *"कास्ट एल्यूमीनियम मिश्र धातु पहियों या एल्यूमीनियम मिश्र धातु सड़क पहियों ("एआरडब्ल्यू") का उपयोग मोटर वाहनों में किया जाता है चाहे सामान के साथ जुड़ा हुआ हो या नहीं 12 इंच से 24 इंच तक के व्यास में आकार का।*

10. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है।

11. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 87 के तहत सीमा शुल्क उप-शीर्षक संख्या 8708.70 के तहत "सड़क के पहिये और भागों और सहायक उपकरण" के विवरण के तहत वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है विषय वस्तुओं को विभिन्न सीमा शुल्क वर्गीकरणों जैसे 87087000, 87082900, 87089900, 87149290, 87149990, 87089400 आदि के तहत भी आयात किया जाता है। हालांकि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

12. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और प्राधिकरण के समक्ष दायर आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो का प्रस्ताव कर सकते हैं जैसा कि इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 34 में दर्शाया गया है।

घ. समान वस्तु

13. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और विषय देश से निर्यात की जाने वाली विषय वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है और दोनों लेख की तरह हैं। आवेदक द्वारा निर्मित और विषय देश से आयातित उत्पाद भौतिक रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, कार्यों के उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण जैसे आवश्यक उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का उपयोग कर सकते हैं और परस्पर उपयोग कर रहे हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक

रूप से सहायक हैं, और इसलिए, नियमों के तहत 'अनुच्छेद की तरह' माना जाना चाहिए। वर्तमान आवेदन मूल शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए समीक्षा के लिए है और चूंकि वर्तमान जांच और मूल जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद एक ही हैं इसलिए प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएं विषय देशों से आयातित विषय वस्तुएं की 'समान वस्तु' हैं।

ड. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

14. निर्णायक समीक्षा जांच के लिए आवेदन कोसी मिंडा एल्यूमीनियम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मैक्सियन व्हील्स एल्यूमीनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिंडा कोसेई एल्यूमीनियम व्हील प्राइवेट लिमिटेड और स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड (आवेदक) द्वारा दायर किया गया है जो विचाराधीन उत्पाद के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदकों के पास कुल घरेलू उत्पादन में लगभग 80% हिस्सा है और उन्होंने प्रमाणित किया है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान विषय वस्तुओं का आयात नहीं किया है।

15. मैक्सियन व्हील्स एल्यूमीनियम इंडिया लिमिटेड चीन में एक निर्माता से संबंधित है, अर्थात्, डोंगफेंग मैक्सियन व्हील्स कंपनी लिमिटेड। आवेदकों ने कहा है कि चीन में संबंधित इकाई ने भारत को निर्यात नहीं किया है। ऊपर उल्लिखित लोगों के अलावा अन्य आवेदक भारत में विषय वस्तुओं के किसी भी निर्यातक या आयातकों से संबंधित नहीं हैं।

16. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' का गठन करते हैं और आवेदन नियम 5 (3) के संदर्भ में स्थायित्व के मानदंडों को पूरा करता है।

च. जांच की अवधि

17. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2022 से मार्च 2023 (12 महीने) है। इसके अलावा जांच के लिए क्षति अवधि 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच की अवधि है।

छ. प्रक्रिया

18. निर्णायक समीक्षा जांच में अंतिम निष्कर्ष संख्या 7/31/2018-डीजीटीआर दिनांक 29.03.2019 के तहत प्रकाशित अंतिम निष्कर्षों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा जिसमें संबंधित

देशों में उत्पन्न होने वाली या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के आयात पर पाटन शुल्क जारी रखने की सिफारिश की गई है।

19. नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

ज. पाटन की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

20. प्राधिकरण की सतत प्रथा चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानने की रही है, जब तक कि चीन जन. गण. के उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते हैं कि पाटन रोधी नियम, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार विषय वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है।

21. इसलिए वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के उद्देश्य से आवेदकों की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है जिसमें उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ विधिवत समायोजित किया गया है।

निर्यात कीमत

22. संबंधित देशों से विषय वस्तुओं के निर्यात मूल्य का अनुमान लेन-देन-वार आयात आंकड़ों पर विचार करके लगाया गया है। शुद्ध निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय माल ढुलाई, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक कमीशन ऋण लागत के कारण मूल्य समायोजन किए गए हैं। इस निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत को सही ठहराने के लिए विषय देशों से विषय वस्तुओं के निर्यात मूल्यों के पर्याप्त सबूत हैं।

पाटन मार्जिन

23. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया स्थापित करता है कि चीन जन. गण. से आयातित विषय वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है। चूंकि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच है प्राधिकरण को यह जांचना अपेक्षित है कि क्या मौजूदा शुल्कों को समाप्त करने से पाटन और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध

24. विषय देश से विषय वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क के अस्तित्व के बावजूद विषय देश से विषय वस्तुओं के आयात की मात्रा सार्थक रूप से उच्च बनी हुई है। इसे ध्यान में रखते

हुए प्राधिकरण ने मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन या क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है।

25. आवेदकों ने दावा किया है कि हालांकि घरेलू उद्योग को निरंतर नुकसान नहीं हुआ है लेकिन संबंधित देश में उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमता है जिसका उपयोग पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में भारत को निर्यात करने के लिए किए जाने की संभावना है। आवेदकों ने आगे प्रस्तुत किया कि अर्जेंटीना, यूरेशियन आर्थिक संघ और यूरोपीय संघ में विषय वस्तुओं के आयात पर व्यापार उपचारात्मक उपायों को लागू करने के कारण विषय देशों में उत्पादकों ने भी बाजार खो दिया है। इसलिए पाटन रोधी शुल्क को जारी नहीं रखने से घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना है।

26. इसके अलावा, आवेदकों ने चीन जन.गण. से सकारात्मक पाटन और क्षति मार्जिन, पाटन का इतिहास, संबंधित देशों में उपलब्ध क्षमताओं और क्षमता विस्तार, विषय देशो में घरेलू मांग की कमी, और शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग पर पाटन की पुनरावृत्ति के संभावित प्रभाव जैसे कारकों के आधार पर क्षति की संभावना का दावा किया है। चीन जन.गण से पाटन रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन की संभावना और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचने के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

27. तथापि, कोरिया आरपी और थाईलैंड से आयात ति वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों की समाप्ति अथवा निरसन की स्थिति में घरेलू उद्योग को डंपिंग और क्षति की पुनरावृत्ति या निरंतरता की संभावना के संबंध में आवेदन में प्रथम दृष्टया अपर्याप्त साक्ष्य थे।

<u>ञ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत</u>

28. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर जो चीन पीआर के संबंध में डंपिंग की संभावना और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाते हैं, और अधिनियम की नियम धारा 9 ए (5) के अनुसार, नियमों के नियम 23 (1 बी) के साथ पढ़ें, प्राधिकरण इस बात की समीक्षा करने के लिए वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करता है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति से पाटन जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान हो सकता है।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

29. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

30. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो विषय वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित फॉर्म और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

31. कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से इस दीक्षा अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित एक प्रस्तुति दे सकता है।

32. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पक्षों को इसका एक गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

33. इच्छुक पार्टियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें और जानकारी के साथ-साथ आगे की जाँच पड़ताल प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

34. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in तथा adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ प्राधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को परिचालित किए जाने अथवा एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

35. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।

36. जहां कोई इच्छुक पक्ष प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, उसे एडी नियम, 1995 के नियम 6(4) के संदर्भ में ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

<u>ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

37. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्षगोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

38. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

39. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो प्रकृति से, गोपनीय और / या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय के रूप में दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

40. हितबद्धपक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को अनिवार्य रूप से गोपनीय अंश की अनुकृति होना चाहिए जिसमें "गोपनीय सूचना" अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) होनी चाहिए और ऐसी सूचना को जिस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।

41. अगोपनीयसारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की पर्याप्त तर्कसंगत समझ बन सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना देने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के स्तर तक एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा

जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों को पर्याप्त और पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

42. इच्छुक पक्ष इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 34 में दर्शाए गए आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के संचलन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

43. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना किया गया कोई अनुरोध या एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीय दावे संबंधी किसी अनुरोध को पर्याप्त और पूरे कारणों के विवरण के बिना प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

44. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध नहींआवश्यक है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

45. प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को संतुष्ट होने और स्वीकार करने पर प्राधिकारी ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करेगा।

46. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

ढ. असहयोग

47. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अवधि के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या बाद में अलग-अलग संचार के माध्यम से प्रदान की गई समय अवधि में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है। जैसा कि यह उचित लगता है।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी